

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर
दिनांक 14/2/25
क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/एम-133/2025/ 64

आदेश

मिशन निदेशक, एनएचएम एवं संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क विभाग के पत्र क्रमांक - एफ.एन.(01) / एनएचएम / मिडवाईफरी / प्रशिक्षण / 2024/799 दिनांक 07.02.2025 की पालना में मिडवाईफरी कार्यक्रम के अन्तर्गत मिडवाईफरी प्रशिक्षण संस्थानों (नेशनल मिडवाईफरी प्रशिक्षण संस्थान (NMTI) तथा राज्य मिडवाईफरी प्रशिक्षण संस्थान (SMTI)) में कार्यरत पदस्थापित मिडवाईफरी एजुकेटर्स के 18 माह प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् मिडवाईफरी एजुकेटर्स की posting प्रशिक्षण संस्थान पर ही आगामी आदेशों तक निरन्तर रखी जाती है, जिससे कि मिडवाईफरी लेड केयर युनिट का संचालन सुचारु रूप से किया जा सके।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./मिड.वा.एजु./2024/ 64
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि.स्वा.एवं पं.क. विभाग, राजस्थान।
02. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 799 दिनांक 07.02.2025 के क्रम में।
03. निदेशक, आर.सी.एच।
04. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
05. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (मेटर्नल हेल्थ)।
06. राज्य प्रमुख, UNFPA, Jhpiego, Raj.
07. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उपरोक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर
Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2025.02.14 17:03:28 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प्रशि./मिड.वा.एजु./2025/ 63

दिनांक 14/2/2025

प्रधानाचार्य,

नेशनल मिडवाइफरी ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट(NMTI) उदयपुर/

स्टेट मिडवाइफरी ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट,

एसएमएस नर्सिंग महाविद्यालय (SMTI), जयपुर।

विषय : ME (3rd batch)/ NPME (2nd batch) प्रारंभ करने उपरान्त Mentorship हेतु कार्यग्रहण करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि NMTI उदयपुर/SMTI जयपुर में ME (3rd batch) एवं NPME (2nd batch) प्रारंभ कर दिया गया जिससे निम्नलिखित कर्मचारियों/प्रशिक्षणार्थियों को आगामी आदेशों तक अपने मूल पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त होकर आपके संस्थान में दिनांक 18.02.2025 (कार्यालय समय) तक कार्यग्रहण करावें।

Sr. No.	Name	Current posting	Place of Relieved Training Institute & Parent Hospital
1	Prakash Dangi	Pannadai Zanana Hospital, RNT Medical College hospital, Udaipur	NMTI Udaipur, MLCU Pannadai Zanana Hospital
2	Dhiru Nagda	Pannadai Zanana Hospital, RNT Medical College hospital, Udaipur	NMTI Udaipur, MLCU Pannadai Zanana Hospital
3	Taruna Pujari	Govt College of Nursing, Udaipur	NMTI Udaipur, MLCU Pannadai Zanana Hospital
4	Himmat Ram Hatela	CMHO, Pali	NMTI Udaipur, MLCU Pannadai Zanana Hospital
5	Chanda Kumawat	Pannadai Zanana Hospital, RNT Medical College hospital, Udaipur	NMTI Udaipur, MLCU Pannadai Zanana Hospital
6	Anjlika Bhatt	SMS Medical college, Jaipur	SMTI Jaipur & MLCU Mahila Chikitsalya
7	Sunita Fulwariya	CMHO, Jaipur-2 nd	SMTI Jaipur & MLCU Mahila Chikitsalya
8	Snehlata Chodhary	Govt College of Nursing, Udaipur	SMTI Jaipur & MLCU Mahila Chikitsalya
9	Priyanka Sharma	College of Nursing, SMS, Jaipur	SMTI Jaipur & MLCU Mahila Chikitsalya

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान जयपुर

दिनांक 14/2/2025

क्रमांक : प्रशि./मिड.वा.एजु./2025/ 63

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
02. मिशन निदेशक, एनएचएम, राजस्थान, जयपुर।
03. निदेशक, आर.सी.एच।
04. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (मैटरनल हेल्थ)।
05. अधीक्षक, पन्नाधाय जनाना हॉस्पिटल, आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, को भेजकर लेख है कि दिनांक 18.02.2025 से पूर्व सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों को कार्यमुक्त करे।
06. प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त प्रशिक्षणार्थियों को दिनांक 18.02.2025 तक कार्यमुक्त करावे।
07. मुख्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली/जयपुर-द्वितीय को भेजकर लेख है कि दिनांक 18.02.2025 से पूर्व सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों को कार्यमुक्त करे।
08. प्रधानाचार्य एसएमएस नर्सिंग मेडिकल कॉलेज जयपुर को भेजकर लेख है कि दिनांक 18.02.2025 से पूर्व सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों को कार्यमुक्त करे।
09. राज्य प्रमुख, UNFPA, Raj
10. संबंधित अभ्यर्थी
11. प्रभावी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उपरोक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar

Sharma

Designation: Director

Date: 2025.02.14 7:04:10 IST

Reason: Approved

